न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 800–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर जिला होशंगबाद प्रकरण कमांक 7/अपील/2015–16.

1– शेरसिंह आत्मज रामदयाल मेहरा
2– गुलाबसिंह आत्मज प्रहलाद सिंह पटेल
निवासीगण काश्तकार मौजा रिटालखापा
तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

विनय पटेल आत्मज कमोद सिंह पटेल
निवासी एवं काश्तकार मौजा रिटालखापा
तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री एस.एस. पटेल, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर जिला होशंगबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, सोहागपुर के प्रकरण कमांक 18/91–92/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 28–3–92 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर जिला होशंगाबाद के समक्ष दिनांक 18–7–16 को 24 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 7/अपील/2015–16 दर्ज कर दिनांक 31–1–2017 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सीलिंग भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त होकर अन्तरण से सम्बंधित होने से अवधि

विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील करने का कोई अधिकार अनावेदक को नहीं है ।

(2) अनावेदक तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं था, न ही प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कोई स्वत्व व आधिपत्य है और न ही वह व्यथित पक्षकार है, इसलिए उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(3) अनावेदक द्वारा 24 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें न तो अपील प्रस्तुत करने की अनुमति ली गई है और न ही वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ।

(4) आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का जवाब एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन तथ्यों का बिना उल्लेख किये विलम्ब क्षमा किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने का जो आधार बतलाया गया है, वह अवैधानिक एवं अनियमित है ।

(6) अनावेदक द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में जानकारी का स्रोत नहीं दर्शाया गया है और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया गया है ।

(7) दिनांक 14–3–2015 को आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरान्त भी उसके द्वारा दिनांक 18–7–2016 को विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके सम्बंध में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 1978 आर.एन. 222 एवं 2013 आर.एन. 104 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा प्रकरण में शासन हित के महत्वपूर्ण बिन्दु को उठाया गया है । ऐसी स्थिति

में प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा । अतः प्रश्नाधीन सीलिंग भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त होकर, उसका अन्तरण होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर जिला होशंगबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर